

कार्यालय आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर

// विज्ञप्ति //

विज्ञापन शाखा


क्रमांक-08/22/2/10/विज्ञापन शाखा/2022/

दिनांक-.....

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित कि गया है, कि ऐसे समस्त ओ.एम.डी धारक भवन स्वामी/विज्ञापन एजेन्सियां स्वीकृत ओ.एम.डी. नम्बर/रजिस्ट्रेशन नम्बर/वैधता अवधि दिनांक फ्लैक्स के बॉटम में इस प्रकार अंकित करे कि दूर से दिखाई दे सके तथा स्ट्रेक्चर/यूनीपोल के एक तरफ नीचे स्थान पर 2×1 वर्गफुट की लोहे की प्लेट बेल्ट कर रेडियम से ओ.एम.डी. नम्बर को अंकित किया जाना अन्दर 07 दिवस में सुनिश्चित करें तथा संबंधित भवन स्वामी अथवा एडवरटाईज एजेन्सी उक्त किये गये कार्य का पालन प्रतिवेदन विज्ञापन शाखा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। ऐसे निजी भवन/भूमि स्वामी एवं विज्ञापनकर्ता एजेन्सीयों की जबाबदेही होगी ।

आज्ञा से

आयुक्त
विज्ञापन शाखा
नगर निगम, ग्वालियर


कार्यालय अधीक्षक
विज्ञापन शाखा
नगर निगम, ग्वालियर